भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 401
दिनांक 04.02.2020/ 15 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की घटना

†401. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध करने वाले छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो महीनों के दौरान सीएए के विरोध और कथित अपराधों के संबंध में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के जवानों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में छात्रों पर हमले करने के कारण पुलिस के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसमें कितने छात्र घायल हुए; और

(च) सीएए के विरोध में विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (ङ): दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और उसके आस-पास के क्षेत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन करते समय गैर-कानूनी गतिविधियों और सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने में संलिप्त पाई गई भीड़ के विरूद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा तीन मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 62 पुलिसकर्मी और 36 छात्रों सहित 127 व्यक्ति घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने छात्रों/भीड़ के हिंसक समूह का पीछा करते

हुए अपराधियों को पकड़ने/तितर-बितर करने, स्थिति को नियंत्रित करने और सरकारी संपत्ति की रक्षा करने तथा कैम्पस क्षेत्र में रहने वाले निर्दोष छात्रों की जान बचाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश किया था।

(च) : ऐसे मामलों का केंद्रीय डाटाबेस नहीं रखा जाता है।

****